

परिशिष्ट-1
परीक्षा की योजना

प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमशः तीन चरण होंगे यथा: (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) एवं (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

परिशिष्ट-2

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र—प्रथम

समय: 2 घंटे

अंक—150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र—द्वितीय

समय: 2 घंटे

अंक—300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) विधि शास्त्र (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण (iv) भारतीय संविधान (v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम (vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (vii) भारतीय दंड संहिता (viii) सिविल प्रक्रिया संहिता (ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (x) संविदा विधि

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या-1

सामान्य ज्ञान

अंक : 200

इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय भारत और विश्व भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र संख्या-2 भाषा:

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से चार प्रश्न समाविष्ट होंगे।

- | | |
|---|--------|
| (1) अंग्रेजी में लिखित एक निबन्ध | 60 अंक |
| (2) अंग्रेजी में सार लेखन | 60 अंक |
| (3) हिन्दी से अंग्रेजी में परिच्छेद का अनुवाद | 40 अंक |
| (4) अंग्रेजी से हिन्दी में परिच्छेद का अनुवाद | 40 अंक |

प्रश्न पत्र संख्या-3 विधि-1 (मौलिक विधि)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:-

संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या-4 विधि-2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:-

साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया-संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से

सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सामान्यतः आरोपों और वाद-विन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियाँ, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या-5 विधि-3 (दाण्डिक, राजस्व और स्थानीय विधियाँ)

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे:-

भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953, उत्तर प्रदेश नगर (योजना और विकास) अधिनियम, 1973 उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के साथ।

स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दाण्डिक विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे। जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के प्रश्न 150 अंकों के होंगे।

6 साक्षात्कार:-

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी को उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक, ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

टिप्पणी- (1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

(2) आयोग किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हों, जो उसके द्वारा ऐसे इन्कार को न्यायोचित ठहरायें।